

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in, Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक/मा0चि0/2021/ 101

मण्डला, दिनांक 23/01/2021

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बम्हनी परिक्षेत्र के ग्राम मुगदरा में डोलोमाईट परियोजना रकबा 19.223 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण पर नवीनीकरण बावत्।

संदर्भ :- 1-आपका पत्र क्र0/मा0चि0/5911 दिनांक 22.09.2020.
2-इस कार्यालय का पत्र क्र0/मा0चि0/2020/936 दिनांक 10.09.2020.
2-उप संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला का पत्र क्र0/मा0चि0/251 दिनांक 19.01.2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, आपके संदर्भित पत्र के क्रम में वन परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत ग्राम मुगदरा वनकक्ष क्रमांक 703 रकबा 19.223 हेक्टेयर में डोलोमाईट खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रकरण में उप संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के संदर्भित पत्र से प्राप्त पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त पत्र में आवेदित स्थल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 13.31 कि0मी0 दूरी पर स्थित होना तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा लाईन से बाहर होना अंकित है।

अतः तदनुसार उपरोक्त डोलोमाईट उत्खनि नवीनीकरण प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार छायाप्रति एक पृष्ठ।

पृष्ठा0क्र0/मा0चि0/21/ 102

प्रतिलिपि :- उप संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला की ओर उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमल अरोरा) भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला
मण्डला, दिनांक 23/01/2021

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा0) वनमण्डल मण्डला

कार्यालय क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

Ph. No. 07642-250760, Fax. No. 07642-251266

E-mail: fdknp.mdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./251

मंडला, दिनांक/19.01.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम सामान्य वनमण्डल,
मण्डला (म.प्र.)

विषय : वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बम्हनी परिक्षेत्र के ग्राम मुगदरा से डोलोमाईट परियोजना रकबा 19.223 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण पर नवीनीकरण बाबत।

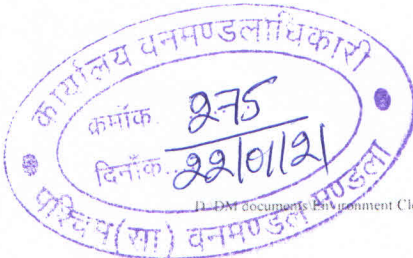
संदर्भ : 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020.
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2108, दिनांक 30.09.2020 एवं
3. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. का पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./निर्देश/5627, दिनांक 29.09.2020
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3237, दिनांक 27.11.2020
5. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2940, दिनांक 16.12.2020
6. सहायक संचालक, सिझौरा, बफर जोन वनमण्डल का पत्र क्रमांक/84, दिनांक 18.01.2021

D.M.

Divisional Forest Officer (T)
West Mandla Division

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने कष्ट करें। कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020 द्वारा डोलोमाईट खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रकरण अंतर्गत आवेदित क्षेत्र ग्राम-मुगदरा, वन कक्ष क्रमांक 703 स्थित रकबा 19.223 हेक्टेयर भूमि के जीपीएस निर्देशांक बिंदुओं बिंदुओं के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/ईको सेंसेटिव जोन की स्थल से दूरी की जानकारी तथा अभिमत प्रेषित किया गया था। आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2108, दिनांक 30.09.2020 द्वारा रिपोर्ट के संबंध में तदनुसार पुनर्विचार कर पुनरीक्षित अभिमत प्रेषित करने हेतु लेख किये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3237, दिनांक 27.11.2020 द्वारा पुनरीक्षित अभिमत प्रेषित किया गया था।

वर्तमान में आपके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./20/2940, दिनांक 16.12.2020 द्वारा पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लेख किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1782, दिनांक 17.07.2020 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र एवं सहायक संचालक, सिझौरा, बफर जोन वनमण्डल का पत्र क्रमांक/84, दिनांक 18.01.2021 अनुसार आवेदित स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 13.31 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वरिष्ठ कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 में दिये गये निर्देशानुसार "जिन संरक्षित क्षेत्रों के ईको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2006 के प्रावधान (10 किलोमीटर की परिधि) लागू होंगे।" अतः उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है। सूचनार्थ संप्रेषित है।



उप संचालक
कान्हा टायगर रिजर्व
मण्डला